ARTEMIS GLOBAL LIFE SCIENCES LIMITED

(Formerly-PTL Projects Limited)
Regd. Off: 414/1,4th Floor DDA Commercial Complex,
District Centre, Janakpuri, New Delhi -110058
CIN: L85191DL2011PLC216530, **Website:** www.aglsl.in, **Email:** investor@aglsl.in,
Tel: 0124-4262305/07, **Fax:** 0124 - 4262306

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI

CA (CAA) – 165/ND/2018

In the matter of the Companies Act, 2013

And

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements And Amalgamations) Rules, 2016;

And

In the matter of Artemis Global Life Sciences Limited

And

In the matter of Composite Scheme of Amalgamation between Artemis Global Life Sciences Limited, Artemis Health Sciences Limited, Athena Eduspark Limited and Artemis Medicare Services Limited and their respective shareholders and creditors

Artemis Global Life Sciences Limited

a public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and being a Company within the meaning of Companies Act, 2013, having CIN No. L85191DL2011PLC216530 with its registered office at 414/1, 4th floor, DDA Commercial Complex, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110058 India .... **Applicant Company 3/ Amalgamated Company 1**

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF THE EQUITY SHAREHOLDERS OF ARTEMIS GLOBAL LIFE SCIENCES LIMITED

Notice Is hereby given that by an order dated the **19th December, 2018,** the Hon'ble National Company Law Tribunal, at New Delhi Bench ("NCLT") has directed meeting of the equity shareholders of the Applicant Company 3, for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the arrangement embodied in the Composite Scheme of Amalgamation between Artemis Global Life Sciences Limited (**"AGLSL"** or **"Amalgamated Company 1"** or **"Amalgamating Company 3")**, Artemis Health Sciences Limited (**"AHSL"** or **"Amalgamating Company 1"**), Athena Eduspark Limited (**"AEL"** or **"Amalgamating Company 2")** And Artemis Medicare Services Limited **("AMSL"** or **"Amalgamated Company 2")** and their respective shareholders and creditors **("Composite Scheme").**

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that meeting of the equity shareholders of the Applicant Company 3 will be held at the registered office of the company situated at 414/1, 4th floor, DDA Commercial Complex, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110058 India at 10.00 a.m. on Sunday, 27th January 2019, at which time and place the equity shareholders are requested to attend.

Copies of the said Composite Scheme and of the Explanatory Statement under Sections 230, 232 and 102 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be obtained free of charge within one (1) day (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being so made for the same by the shareholders of the Applicant Company 3 at the registered office of the Applicant Company 3. Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Company 3 at 414/1, 4th floor, DDA Commercial Complex, District Centre, Janakpuri, New Delhi-110058 India, not later than forty eight (48) hours before the scheduled time of the commencement of the aforesaid meeting.

Forms of proxy can be obtained from the registered office of the Applicant Company 3.

NCLT has appointed Mr. Hashmat Nabi and in his absence Mr. Parth Goswami to be the Chairman of the said meeting of the equity shareholders of the Applicant Company 3.

The Composite Scheme, if approved in the aforesaid meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

Further Notice is hereby given to the equity shareholders of the Applicant Company 3 that:

1. The Applicant Company 3 has provided the facility of voting by e-voting so as to enable the equity shareholders, to consider and approve the Composite Scheme. The Applicant Company has engaged the services of National Securities Depository Limited ("NSDL") for facilitating e-voting services;
2. In accordance with the provisions of Sections 230-232 of the Companies Act, 2013, the Composite Scheme shall be acted upon only if a majority of persons representing three fourth in value of the equity shareholders of the Applicant Company 3, voting in person or by proxy or e-voting, agree to the Composite Scheme.
3. The cut-off date for determining the eligibility of the equity shareholders for voting through e-voting or voting at the venue of the meeting is 21st December 2018. A person, whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled for voting. Persons who are not equity shareholders of the Applicant Company 3 as on the cut-off date should treat this Notice for information purposes only;
4. Voting through e-voting by the equity shareholders will commence on 27th day of December 2018 at 10.00 a.m. and shall end on 26th day of January 2019 at 5.00 p.m;
5. E-voting module shall be disabled for voting on 26th day of January 2019 at 5.00 p.m;
6. The Applicant Company 3 has on 24th day of December 2018, completed the dispatch of Notice to the equity shareholders holding shares in either physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 21st day of December 2018;
7. Equity shareholders who have cast their votes through e-voting may attend the meeting but shall not be entitled to cast their vote again;
8. The Notice including the e-voting instructions are available on the Applicant Company 3's website at www.aglsl.in and on the website of NSDL at www.evoting.nsdl.com;
9. Mr. Vishawjeet Gupta, Company Secretary (Membership No. F5157) has been appointed as the Scrutinizer to conduct the e-voting process and the voting at the venue of the meeting in a fair and transparent manner;
10. In case of any query/grievance in relation to e-voting may be addressed to Mr. Anuj Sood, Company Secretary of the Applicant Company 3 at SF-202, Peach Tree, C-Block, Sushant Lok-I, Gurgaon- 122002, or through email to csanujsood@gmail.com Mr. Anuj Sood, Company Secretary of the Applicant Company 3 can also be contacted at +91 82858 16033. In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https://www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990

For Artemis Global Life Sciences Ltd.
Sd/-
Anuj Sood
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi
Date: 24-12-2018

Business Standard(English) all Edition -26.12.2018

ARTEMIS GLOBAL LIFE SCIENCES LIMITED

(Formerly-PTL Projects Limited)

पंजीकृत कार्यालयः 414/1, 4वां तल, डीडीए कमर्शियल कॉम्पलैक्स,
डिस्ट्रिक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058
सीआईएनः L65191DL2011PLC216530, **वेबसाइटः** www.aglsl.in, **ई–मेलः** investor@aglsl.in
फोनः 0124–4262305/07, **फैक्सः** 0124–4262306

सक्षम राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
सी.ए. (सीएए) 165/न.दि./2018

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

और

कंपनी (समझौते, व्यवस्थापन और समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हों, के मामले में

और

आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड के मामले में

और

आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड, आर्टमिस हेल्थ साइंसेज लिमिटेड, एथेना एजूस्पार्क लिमिटेड और आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों व ऋणदाताओं के बीच समामेलन की संयुक्त योजना के मामले में

आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अभिप्राय में एक कंपनी, सीआईएन नं.: एल85191डीएल2011पीएलसी216530 व पंजीकृत कार्यालय स्थित 414/1, 4वां तल, डीडीए कमर्शियल कॉम्पलैक्स, डिस्ट्रिक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, भारत ...... **आवेदक कंपनी 3/ समामेलित कंपनी 1**

आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक की सूचना की सूचना और विज्ञापन

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश दिनांकित **19 दिसंबर, 2018** द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ ("एनसीएलटी") ने आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड **("एजीएलएसएल" या "समामेलित कंपनी 1" या "समामेलित हो रही कंपनी 3)**, आर्टमिस हेल्थ साइंसेज लिमिटेड **("एएचएसएल" या "समामेलित हो रही कंपनी 1)**, एथेना एजूस्पार्क लिमिटेड **("एईएल" या "समामेलित हो रही कंपनी 2)** और आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड **("एएमएसएल" या "समामेलित कंपनी 2")** और उनके संबंधित शेयरधारकों व ऋणदाताओं के बीच संयुक्त समामेलन योजना **("संयुक्त योजना")** में सम्मिलित व्यवस्थाओं पर विचार करने और उचित पाया गया तो, संशोधन(नों) के बिना अथवा संशोधन(नों) के साथ अनुमोदित करने के उद्देश्य हेतु आवेदक कंपनी 3 के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक के लिए निदेशित किया है।

उक्त आदेश और इसमें उल्लिखित निदेशों के अनुपालन में आवेदक कंपनी नं. 3 के इक्विटी शेयरधारकों की बैठक कंपनी के पंजीकृत कार्यालयः 414/1, 4वां तल, डीडीए कमर्शियल कॉम्पलैक्स, डिस्ट्रिक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, भारत में रविवार, 27 जनवरी, 2019 को सुबह 10.00 बजे आयोजित होगी जिसमें शामिल होने के लिए इक्विटी शेयरधारकों से निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है।

कंपनी (समझौते, व्यवस्थापन और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के तहत उक्त संयुक्त योजना की प्रतियाँ, व्याख्यात्मक विवरण और प्रॉक्सी फार्म एक (1) दिन (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) में आवेदक कंपनी नं. 3 के पंजीकृत कार्यालय से आवेदक कंपनी 3 के शेयरधारकों द्वारा मांग पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।

प्रॉक्सी फार्म आवेदक कंपनी 3 के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

माननीय एनसीएलटी ने आवेदक कंपनी 3 के इक्विटी शेयरधारकों की उक्त बैठक के लिए श्री हशमत नबी और उनकी अनुपस्थिति में श्री पार्थ गोस्वामी को अध्यक्ष नियुक्त किया है।

यदि उपरोक्त बैठक में संयुक्त योजना अनुमोदित होती है तो आगे माननीय एनसीएलटी के अनुमोदन के तहत होगी।

एतद्वारा आवेदक कंपनी 3 के इक्विटी शेयरधारकों को यह भी सूचित किया जाता है कि–

1. आवेदक कंपनी नं. 3 ने संयुक्त योजना पर विचार और अनुमोदन के लिए इक्विटी शेयरधारकों को ई–मतदान द्वारा मतदान की सुविधा प्रदान की है। आवेदक कंपनी ने ई–मतदान सेवाएँ प्रदान करने के लिए नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएल") की सेवाएं ली हैं;
2. कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराओं 230–232 के प्रावधानों के अनुपालन में संयुक्त योजना पर तभी कार्रवाई की जायेगी यदि आवेदक कंपनी 3 के इक्विटी शेयरधारकों का तीन चौथाई बहुमत व्यक्तिगत या प्रॉक्सी या ई–मतदान द्वारा संयुक्त योजना के साथ सहमत होता है;
3. ई–मतदान द्वारा मतदान और बैठक स्थल पर मतदान के लिए इक्विटी शेयरधारकों की पात्रता निर्धारण के लिए कट–ऑफ तिथि 21 दिसंबर, 2018 है। केवल व्यक्ति जिनके नाम कट–ऑफ तिथि तक सदस्यों के रजिस्टर या डिपोजिटरियों द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज होंगे वे मतदान के लिए अधिकृत होंगे। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को आवेदक कंपनी 3 के इक्विटी शेयरधारक नहीं होंगे वे इस सूचना को केवल जानकारी मात्र मानें;
4. इक्विटी शेयरधारकों द्वारा ई–मतदान माध्यम से मतदान 27 दिसंबर, 2018 को पूर्वा. 10.00 बजे शुरू होगा और 26 जनवरी, 2019 को अप. 5.00 बजे समाप्त हो जायेगा;
5. ई–मतदान मॉड्यूल 26 जनवरी, 2019 को अप. 5.00 बजे निष्क्रिय कर दिया जायेगा;
6. आवेदक कंपनी 3 ने भौतिक रूप या अभौतिक रूप में कट–ऑफ तिथि अर्थात 21 दिसंबर, 2018 को शेयर धारण करने वाले इक्विटी शेयरधारकों को सूचना का प्रेषण 24 दिसंबर, 2018 को पूर्ण कर लिया है।
7. ई–मतदान माध्यम से अपना मतदान कर चुके इक्विटी शेयरधारक बैठक में भाग ले सकते हैं किंतु उन्हें दुबारा मतदान की अनुमति नहीं होगी;
8. ई–मतदान निर्देश के साथ सूचना आवेदक कंपनी 3 की वेबसाइट www.aglsl.in और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध हैं;
9. ई–मतदान प्रक्रिया और बैठक स्थल पर मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए श्री विश्वजीत गुप्ता, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफ5157) को संवीक्षक नियुक्त किया गया है;
10. ई–मतदान संबंधी किसी प्रश्न/शिकायत समाधान के आवेदक कंपनी 3 के कंपनी सचिव श्री अनुज सूद को एसएफ–202, पीच ट्री, सी–ब्लॉक, सुशांत लोक– I, गुडगांव–122002 पर, ईमेल आईडी csanujsood@gmail.com से संपर्क किया जा सकता है। आवेदक कंपनी 3 के कंपनी सचिव श्री अनुज सूद को +91 82858 16033 पर संपर्क किया जा सकता है। किसी जिज्ञासा समाधान के लिए https://www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों के लिए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए ई–मतदान यूजर मैनुअल देख सकते हैं अथवा निःशुल्क नंबरः 1800–222–990 पर एनएसडीएल को संपर्क कर सकते हैं।

हिते **आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड**
हस्ता./–
अनुज सूद
कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 24.12.2018

Business Standard (Hindi) -26.12.2018

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

Regd. Office: Plot No. 14, Sector-20 Dwarka, New Delhi-110075
CIN: U85110DL2004PLC126414, **Email:** info@artemishospitals.com
Tel: 0124 – 6767999, **Fax:** (0124) – 6767701

BEFORE THE NATIONAL COMPANY LAW TRIBUNAL, NEW DELHI

CA (CAA) – 165/ND/2018

In the matter of the Companies Act, 2013

And

In the matter of Sections 230 to 232 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act 2013 read with Companies (Compromises, Arrangements And Amalgamations) Rules, 2016;

And

In the matter of Artemis Medicare Services Limited

And

In the matter of Composite Scheme of Amalgamation between Artemis Global Life Sciences Limited, Artemis Health Sciences Limited, Athena Eduspark Limited and Artemis Medicare Services Limited and their respective shareholders and creditors

Artemis Medicare Services Limited

a public limited company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and being a Company within the meaning of Companies Act, 2013, having CIN No U85110DL2004PLC126414 with its registered office at Plot No. 14, Sector 20, Dwarka, New Delhi-110075

……. Applicant Company 4 / Amalgamated Company 2

NOTICE AND ADVERTISEMENT OF NOTICE OF THE MEETINGS OF THE SECURED AND UNSECURED CREDITORS OF ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

Notice is hereby given that by an order dated the **19th December, 2018,** the Hon'ble National Company Law Tribunal, at New Delhi Bench ("NCLT") has directed meeting of the secured and unsecured creditors of the Applicant Company 4, for the purpose of considering and if thought fit, approving with or without modification(s), the arrangement embodied in the Composite Scheme of Amalgamation between Artemis Global Life Sciences Limited (**"AGLSL"** or **"Amalgamated Company 1"** or **"Amalgamating Company 3"**), Artemis Health Sciences Limited (**"AHSL"** or **"Amalgamating Company 1"**), Athena Eduspark Limited (**"AEL"** or **"Amalgamating Company 2"**) and Artemis Medicare Services Limited (**"AMSL"** or **"Amalgamated Company 2"**) and their respective shareholders and creditors (**"Composite Scheme"**).

In pursuance of the said order and as directed therein, further notice is hereby given that meeting of the secured and unsecured creditors of the Applicant Company 4 will be held at 414/1, 4th floor, DDA Commercial Complex, District Centre, Janakpuri, New Delhi 110058 India at 12.00 p.m. and 1.00 p.m. respectively, on Sunday, 27th January 2019, at which time and place the secured and unsecured creditors of Applicant Company 4 are requested to attend.

Copies of the said Composite Scheme and of the Explanatory Statement under Sections 230, 232 and 102 of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Companies (Compromises, Arrangements and Amalgamations) Rules, 2016 and form of proxy can be obtained free of charge within one (1) day (except Saturdays, Sundays and public holidays) on a requisition being so made for the same by the secured and unsecured creditors of Applicant Company 4 at the registered office of the Applicant Company 4. Persons entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy, provided that all proxies in the prescribed form are deposited at the registered office of the Applicant Company 4 at Plot No. 14, Sector 20, Dwarka, New Delhi - 110075, not later than forty eight (48) hours before the scheduled time of the commencement of the aforesaid meeting.

Forms of proxy can be obtained from the registered office of the Applicant Company 4.

NCLT has appointed Mr. Hashmat Nabi and in his absence Mr. Parth Goswami to be the Chairman of the said meeting of the secured and unsecured creditors of the Applicant Company 4.

The voting at the meeting of the secured and unsecured creditors of the Applicant Company 4, would be carried out through polling paper at the venue of the meeting. Mr. Vishawjeet Gupta, Company Secretary (Membership No. FCS-5157) has been appointed as the Scrutinizer for the voting at the venue of the meeting in a fair and transparent manner.

The Composite Scheme, if approved in the aforesaid meeting, will be subject to the subsequent approval of the NCLT.

For Artemis Medicare Services Ltd.
Sd/-
Navneet Goel
Company Secretary

Place: New Delhi
Date: 24-12-2018

Business Standard (English) all Edition -26.12.2018

ARTEMIS MEDICARE SERVICES LIMITED

पंजीकृत कार्यालयः प्लाट नं. 14, सेक्टर–20, द्वारिका, नई दिल्ली–110075
सीआईएनः L85110DL2004PLC126414, **ई–मेलः** info@artemishospitals.com
फोनः 0124–6767999, **फैक्सः** (0124) –6767701

सक्षम राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली
सी.ए. (सीएए) 165/न.दि./2018

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

और

कंपनी (समझौते, व्यवस्थापन और समामेलन) नियमावली, 2016 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 230 से 232 और अन्य लागू प्रावधानों यदि कोई हों, के मामले में

और

आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड के मामले में

और

आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड, आर्टमिस हेल्थ साइंसेज लिमिटेड, एथेना एजूस्पार्क लिमिटेड और आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों व ऋणदाताओं के बीच समामेलन की संयुक्त योजना के मामले में

आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड

कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 के अभिप्राय में एक कंपनी, सीआईएन नं.: यू85110डीएल2004पीएलसी126414 व पंजीकृत कार्यालय स्थित प्लाट नं. 14, सेक्टर–20, द्वारिका, नई दिल्ली–110075

— आवेदक कंपनी 4/ समामेलित कंपनी 2

आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक की सूचना की सूचना और विज्ञापन

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश दिनांकित **19 दिसंबर, 2018** द्वारा माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण की नई दिल्ली पीठ ("एनसीएलटी") ने आर्टमिस ग्लोबल लाइफ साइंसेज लिमिटेड **("एजीएलएसएल" या "समामेलित कंपनी 1" या "समामेलित हो रही कंपनी 3)**, आर्टमिस हेल्थ साइंसेज लिमिटेड **("एएचएसएल" या "समामेलित हो रही कंपनी 1)**, एथेना एजूस्पार्क लिमिटेड **("एईएल" या "समामेलित हो रही कंपनी 2)** और आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड **("एएमएसएल" या "समामेलित कंपनी 2")** और उनके संबंधित शेयरधारकों व ऋणदाताओं के बीच समामेलन की संयुक्त योजना **("संयुक्त योजना")** में सम्मिलित व्यवस्थाओं पर विचार करने और उचित पाया गया तो, संशोधन(नों) के बिना अथवा संशोधन(नों) के साथ अनुमोदित करने के उद्देश्य हेतु आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक के लिए निदेशित किया है।

उक्त आदेश और इसमें उल्लिखित निदेशों के अनुपालन में आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक 414/1, 4वां तल, डीडीए कमर्शियल कॉम्पलैक्स, डिस्ट्रिक सेन्टर, जनकपुरी, नई दिल्ली–110058, भारत में रविवार, 27 जनवरी, 2019 को क्रमशः दोपहर 12.00 बजे और अप. 1.00 बजे आयोजित होगी जिसमें शामिल होने के लिए आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं से निर्धारित समय व स्थान पर उपस्थित रहने का अनुरोध किया जाता है।

कंपनी (समझौते, व्यवस्थापन और समामेलन) नियमावली, 2016 के नियम 6 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230, 232 और 102 के तहत उक्त संयुक्त योजना की प्रतियाँ, व्याख्यात्मक विवरण और प्रॉक्सी फार्म एक (1) दिन (शनिवार, रविवार और सार्वजनिक अवकाश को छोड़कर) में आवेदक कंपनी नं. 4 के पंजीकृत कार्यालय से आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं द्वारा मांग पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। बैठक में भाग लेने और मतदान के लिए अधिकृत व्यक्ति व्यक्तिगत रूप में या प्रॉक्सी द्वारा मतदान कर सकते हैं बशर्ते प्रॉक्सी निर्धारित प्रपत्र में आवेदक कंपनी 4 के पंजीकृत कार्यालय स्थित प्लाट नं. 14, सेक्टर–20, द्वारिका, नई दिल्ली–110075 में उपरोक्त बैठक शुरू होने से कम से कम अड़तालीस (48) घंटे पूर्व जमा हो जाने चाहिए।

प्रॉक्सी फार्म आवेदक कंपनी 4 के पंजीकृत कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

माननीय एनसीएलटी ने आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की उक्त बैठक के लिए श्री हशमत नबी और उनकी अनुपस्थिति में श्री पार्थ गोस्वामी को अध्यक्ष नियुक्त किया है।

आवेदक कंपनी 4 के प्रत्याभूत और अप्रत्याभूत ऋणदाताओं की बैठक में मतदान बैठक स्थल पर मतपत्रों के माध्यम से कराया जायेगा। बैठक स्थल पर मतदान को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कराने के लिए श्री विश्वजीत गुप्ता, कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस–5157) को संवीक्षक नियुक्त किया गया है।

यदि उपरोक्त बैठक में संयुक्त योजना अनुमोदित होती है तो आगे माननीय एनसीएलटी के अनुमोदन के तहत होगी।

हिते **आर्टमिस मेडीकेयर सर्विसेज लिमिटेड**
हस्ता./–
नवनीत गोयल
कंपनी सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 24.12.2018

Business Standard (Hindi) -26.12.2018